

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबन्धक(का0)
समस्तीपुर।

कार्यालय आदेश सं0- 210/NG/2020/Engg/SPJ

मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)/समस्तीपुर के ज्ञापन संख्या-का/239/मुप-डी/अनु0/गो0/19 दिनांक 12.03.2020 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर अभियंत्रण विभाग में ट्रैकमेन्टेनर-IV, वेतन लेवल-1 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाए गए हैं तथा जो वांछित चिकित्सा श्रेणी में सुयोग्य घोषित हैं, की नियुक्ति अस्थायी रूप से इनके नाम के सामने अंकित पद, वेतन लेवल एवं कार्यस्थल पर की जाती है। इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता नियमानुसार देय है, तथा वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

क्रम सं0	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम (सर्वश्री)	चिकित्सा श्रेणी/प्रमाण पत्र सं0/दिनांक	जन्म तिथि	समुदाय	पद एवं पे लेवल	योग्यता	पदस्थापना स्टेशन	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण
1.	रवि कुमार, पिता-स्व0 अशोक कुमार शर्मा	Fit in Aye-3(A-3) & below category with DV glasses vide Sr.DMO/ SPJ Medical Certificate No.1220/20 dt.06.02.2020/ 13.02.2020	23.11.1994	OBC	TM-IV, Pay Level-1 (Gate man)	मैट्रिक	Under SSE/ P.Way/ SPJ	Rs.18000 (L-1)

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबंधिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी के साथ लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने या शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाए जाने पर या माता-पिता/पति-पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्य की देख-रेख नहीं किए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आवश्यकतानुसार इन्हें प्रादेशिक सैन्य सेवा रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक प्रादेशिक सेवा में 03 वर्षों तक या आवश्यकतानुसार जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से शासित होंगे।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।



(आर0आर0लकड़ा)
मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर

दिनांक 09.06.2020

संख्या-का/227/v/अभि0/नियुक्ति/2019/सम0
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. वमंड/समन्वय/समस्तीपुर
2. वमंडिप्र/समस्तीपुर
3. समंड/समस्तीपुर
4. SSE/P.Way/SPJ
5. सम्बन्धित बिल लिपिक
6. सम्बन्धित कर्मचारी
7. मंडल मंत्री/इसीआरकेयू/अपिव एवं अजा/अजजा एसोसिएशन/समस्तीपुर
8. अभिलेख हेतु।

मंडल कार्मिक अधिकारी
समस्तीपुर